मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, सी-विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)

फोन नं. 0755-259314 Email-ce.nregs@gmail.com

क्र. 2436 /MGNREGS-MP/NR-3/2019 भोपाल, दिनांक 8 /7/2019

प्रति,

1. **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक**
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक**
   महात्मा गांधी नरेगा
   <u>जिला - समस्त (म.प्र.)</u>

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा के तहत चारागाह विकास के नवीन दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- परिषद का पत्र क्रं./11202/MGNREGS-MP/NR-3/2019 भोपाल दिनांक 26/02/2019

--00--

1. पृष्ठभूमि :-

1.1 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्यों के ऑनलाइन प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु "SECURE" लागू किया गया है।

1.2 महात्मा गांधी नरेगा के तहत चारागाह विकास हेतु परिषद के पत्र क्र. 11202/MGNREGS-MP/NR-3/2019 भोपाल, दिनांक 26/02/2019 जारी की गई थी। उक्त निर्देशों के तहत जारी किये गये प्राक्कलन में SECURE के दर लागु नहीं है। अतः पैरा 1.1 के अनुक्रम में **SECURE** अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में लागू SOR एवं वर्ष 2019-20 में लागू मजदूरी दर के आधार पर आनलाईन प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर परियोजना क्रियान्वयन हेतु नवीन दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

2. <u>स्थल चयन</u>:-

2.1 महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत चारागाह विकास उपयोजना गौशाला परियोजना के साथ ली जायेगी। स्वतंत्र रूप से गौशाला के बिना चारागाह विकास उपयोजना अनुमत नहीं है।

2.2 चारागाह विकास उपयोजना में आवश्यकता एवं जमीनी वास्तविकता के आधार पर (क) चारागाह सह वृक्षारोपण (ख) चारागाह सह वृक्षारोपण सह नर्सरी स्थापना (ग) चारागाह सह नर्सरी स्थापना (घ) गौशाला के साथ केवल चारागाह विकास कार्य लिया जा सकेगा।

2.3 गौशाला में रखे गए पशुओं के अनुसार चारे का आंकलन कर तदनुसार चारागाह उत्पादन हेतु आवश्यक भूमि का चयन किया जावेगा। चारागाह विकास व नर्सरी निर्माण हेतु न्यूनतम 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी एवं महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत नर्सरी

9

स्थापना के संबंध में जारी निर्देशानुसार नर्सरी स्थापना हेतु लगभग 2 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।

2.4 चारागाह विकास हेतु चयनित स्थल पर पानी का स्रोत/संभावना होना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम सिंचाई हेतु चारागाह स्थल के अनुरूप सामुदायिक कूप/तालाब/अन्य आवश्यक जल स्रोत(नलकूप को छोड़कर) पृथक से स्वीकृत कर निर्मित किया जावेगा। जल स्रोत की विश्वसनीय व्यवस्था सुनिश्चित होने पर ही चारागाह विकास संबंधी अन्य गतिविधियां क्रियान्वित की जा सकेगी।

2.5 चयनित स्थल पर यथासंभव विद्युत का स्रोत उपलब्ध हो। विद्युत स्रोत उपलब्ध न होने की स्थिति में सोलर लाईट, सोलर/डीजल पंप की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

3. <u>स्वीकृतियां</u> :-

3.1 नरेगा साफ्ट अंतर्गत चारागाह विकास कार्य का पंजीयन Grass Land Development श्रेणी में किया जाये। परियोजना की स्वीकृति Secure soft में होने के उपरांत Geo Tagging कर कार्य प्रारंभ किया जाये।

3.2 SECURE पर तकनीकी अमले की सुविधा हेतु चारागाह एवं पौधारोपण का Normal Template बनाया गया है। Normal Template में स्थानीय परिस्थिति, भूमि की उपलब्धता के अनुक्रम में ऑनलाइन प्राक्कलन तैयार किया जावे, तदोपरांत तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा दी जावेगी।

3.3 जहाँ चारागाह विकास एवं पौधरोपण दोनों कार्य लिये जा रहे हैं वहां तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति चारागाह एवं चारागाह की मेढ़ पर वृक्षारोपण के लिए एक ही जारी की जायेगी।

3.4 चारागाह सह नर्सरी स्थापना का कार्य लिये जाने की स्थिति में नर्सरी स्थापना के परिपेक्ष्य में जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नर्सरी स्थापना परियोजना अन्तर्गत स्टोर रूम, चौंकीदार रूम, ग्रेवल सड़क, वर्किंग शेड, वाटर टैंक, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, शौचालय, विद्युत पम्प पाईप फिटिंग के साथ एवं सोलराईजेशन यूनिट का प्रावधान किया गया है जिसे आवश्यकतानुरूप लिया जा सकेगा।

3.5 SECURE में नर्सरी स्थापना हेतु सक्षम प्राधिकारी से ऑफलाईन तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर परियोजना क्रियान्वित की जावे। यदि परियोजना में प्रावधानित किसी संरचना का निर्माण अन्य किसी मद से किया जा चुका है ऐसी स्थिति में उसे मनरेगा से नहीं लिया जावे।

4 क्रियान्वयन संस्था का चयन:-

4.1 ग्राम पंचायत मजदूर, स्वसहायता समूह अथवा स्वसेवी संस्थाओं के माध्यम से परियोजना के विभिन्न घटकों यथा चारागाह विकास, वृक्षारोपण, नर्सरी की स्थापना कर क्रियान्वयन करा सकेगी। गौशाला परियोजना अंतर्गत चारागाह विकास, वृक्षारोपण एवं नर्सरी स्थापना की संपूर्ण परियोजना क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु मूलतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी होगी।

4.2 चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत/ स्वयं सेवी संस्था / मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वसहायता समूह अथवा मिशन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने वाले अन्य (SRLM Compliant) समूह से कराया जा सकेगा।

4.3 स्वसहायता समूह/ स्वसेवी संस्था के चयन एवं संचालन की अनुमति हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पत्र क्र0 124/348/2019/पं-1/22, दिनांक 06 फरवरी 2019 से जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

4.4 स्वसहायता समूह अथवा स्वसेवी संस्था जिनको परियोजना के विभिन्न घटकों के संचालन का दायित्व सौंपा गया हो उनके साथ ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

4.5 ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि नरेगा में प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार वर्षभर निर्धारित संख्या में श्रमिक उपलब्ध रहें।

4.6 जहाँ नर्सरी की स्थापना गौशाला परियोजना के क्रियान्वयन हेतु की जा रही है एवं गौशाला एवं चारागाह विकास का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वसहायता समूह अथवा मिशन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने वाले अन्य (SRLM Compliant) समूह के द्वारा किया जा रहा है, **वहाँ नर्सरी स्थापना एवं संचालन का कार्य संबंधित स्वसहायता समूह द्वारा ही किया जायेगा।** स्व सहायता समूह को सामग्री क्रय करने के लिये वेण्डर और नरेगा मजदूरी के लिये नियोजक मान्य किया जायेगा तथा मस्टर रोल स्वसहायता समूह को जारी किये जायेंगे। स्वसहायता समूह अपने सदस्यों एवं उनके पसन्द के अन्य जॉबकार्डधारी मजदूरों को नियोजित कर सकेंगे।

4.7 जहाँ नर्सरी की स्थापना गौशाला परियोजना के क्रियान्वयन हेतु की जा रही है एवं गौशाला एवं चारागाह विकास का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत/स्वयं सेवी संस्था द्वारा किया जा रहा है। वहाँ भी ग्राम पंचायत द्वारा मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वसहायता समूह अथवा मिशन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने वाले अन्य (SRLM Compliant) समूह से ही नर्सरी स्थापना कार्य क्रियान्वित कराया जायेगा।

4.8 ग्राम पंचायत/स्वय सेवी संस्था को सामग्री क्रय करने के लिये वेण्डर मान्य नहीं किया जायेगा तथा अग्रिम हेतु पात्रता नहीं होगी।

5 **क्रियान्वयन:-**

5.1 सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी की उपलब्धता के लिये कूप, तालाब, स्टापडेम आदि लिया जा सकेगा। नरेगा मद से नलकूप खनन अनुमत नहीं है।

5.2 नेपियर घास, गिनी घास, पैरा घास आदि पैरिनियल घास को एक हेक्टर क्षेत्र में रोपित कर आगामी 5 वर्ष तक रखरखाव कर हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु चारागाह विकसित किया जाना है।

5.3 चारागाह क्षेत्र की मेड़ वृक्षारोपड़ अन्तर्गत गौवंश के पोषण हेतु मुनगा, सुबबूल आदि का एक हेक्टर क्षेत्र में रोपण किया जावेगा। ।

5.4 नर्सरी स्थापना हेतु RCC पोल के साथ कटीले तार की फैंसिंग 80m x 100 m (2 एकड़) में अनुमत किया गया है, चारागाह सह नर्सरी स्थापना उपयोजना हेतु इस मात्रा से अधिक क्षेत्र में कटीले तार की फैंसिंग महात्मा गांधी नरेगा मद से अनुमत नहीं होगी। शेष क्षेत्र में यदि RCC पोल के साथ कटीले तार की फैंसिंग आवश्यक हो तो अन्य मद के साथ अभिसरण किया जा सकता है। यदि अभिसरण में राशि उपलब्ध नहीं है उस स्थिति में पशु अवरोधक खंती (ऊपर से 1.5 m चौड़ी एवं नीचे से 0.75 m चौड़ी व 1 m गहरी आकर की) बनाई जा सकेगी। क्षेत्र में बोल्डर उपलब्ध होने पर सुरक्षा हेतु बोल्डर की दीवार (बोल्डर वाल) भी बनाई जा सकेगी।

6 **मानक लागत एवं भुगतान :-**

6.1 एक हैक्टेयर चारागाह विकास हेतु SECURE अंतर्गत लागू SOR वर्ष 2018-19 एवं मजदूरी की दर वर्ष 2019-20 के अनुसार तैयार प्राक्कलन लागत परिशिष्ट (1) की तालिका क्रमांक 1 में दर्शाई गई है।

6.2 प्राक्कलित परियोजना लागत में Water Charges 1.2 %, Tools and plants 3% एवं Miscellaneous Charges 10% की राशि सम्मिलित है यह राशि प्रत्येक वर्ष निर्धारित मद एवं निर्धारित सीमा में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आहरित की जा सकेगी। इस हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे है।

6.3 सामग्री मद का भुगतान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर परिशिष्ट (1) की तालिका क्रमांक 2, 3 एवं 4 में दर्शाई गई किश्तों में होगा। सामग्री का भुगतान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकेगा।

6.4 परिशिष्ट (1) की तालिका क्रमांक 2, 3 एवं 4 में CPT (पशु अवरोधक खंती) के संबंध में दर्शित गणना केवल मार्गदर्शी है, स्थल के आकार के अनुसार CPT का कार्य वास्तविक लंबाई में किया जावे एवं तदनुसार प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृतियां दी जावें।

7 **चारागाह क्षेत्र की मेढ़ पर वृक्षारोपण परियोजना (अवधि 5 वर्ष) :-**

7.1 चारागाह क्षेत्र की मेड़ पर गौवंश के पोषण हेतु मुनगा, सुबबूल आदि के 1 हेक्टर क्षेत्र में 133 पौधों का 3m x 3m के अंतराल पर रोपण किया जावेगा।

7.2 एक हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर चारागाह विकास करने पर मेढ़ पर वृक्षारोपण की लंबाई परिवर्तित हो जायेगी। अत: वास्तविक वृक्षारोपण के आधार पर Normal Template में वास्तविक गणना करने पर उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई लागत बदल जायेगी।

7.3 आगामी वर्षों में अकुशल मजदूरी, अर्द्ध कुशल व कुशल मजदूरी एवं सामग्री की दर में वृद्धि या कमी होने पर नवीन कार्य हेतु प्राक्कलित लागत केन्द्र व राज्य स्तर से दरें अद्यतन करने पर स्वत: परिवर्तित हो जावेगी।

7.4 क्रियान्वयन एजेंसी को एक हेक्टेयर भूमि की मेढ़ पर मुनगा/सुबबुल आदि के रोपण हेतु प्राक्कलित लागत अनुसार सामग्री मद एवं मजदूरी का भुगतान परिशिष्ट (2) की तालिका क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 में दर्शाई गई किश्तों के अनुरूप वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकेगा।

8 <u>अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण :-</u>

8.1 ग्राम रोजगार सहायक संयुक्त परियोजना (चारागाह, वृक्षारोपण व नर्सरी स्थापना) हेतु मजदूरों को कार्य आवंटन करना, कार्यों का समय पर जियोटेग करना, मस्टर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8.2 जहाँ स्वसहायता समूह द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है वहाँ स्वसहायता समूह के सदस्य को मेट के कार्य हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

8.3 संयुक्त परियोजना (चारागाह, वृक्षारोपण व नर्सरी स्थापना) का मूल्यांकन एवं सत्यापन जनपद में पदस्थ नरेगा वाटरशेड के उपयंत्री, जहाँ नरेगा वाटरशेड के उपयंत्री पदस्थ नहीं है वहाँ IWMP के पदस्थ विकास खंड जलग्रहण अभियंता एवं जहाँ विकास खंड जलग्रहण अभियंता नही है वहाँ जनपद पंचायत के उपयंत्री द्वारा किया जायेगा।

8.4 मूल्यांकन का सत्यापन सहायक यंत्री द्वारा किये जाने तथा पास आर्डर ग्राम- पंचायत द्वारा लगाए जाने के उपरांत मजदूरी एवं सामग्री मद का भुगतान FTO के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत् किया जावेगा।

8.5 संयुक्त परियोजना (चारागाह, वृक्षारोपण व नर्सरी स्थापना) के नियमित क्रियान्वयन एवं सुचारू संचालन हेतु परियोजना का समय-समय पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा पशुपालन कृषि, उद्यानिकी विभाग के अधिकारी, जनपद पंचायत में पदस्थ IWMP के विकासखंड जलग्रहण समन्वयक एवं जिला पंचायत में पदस्थ तकनीकी विशेषज्ञ (कृषि विषय विशेषज्ञ) से कराया जावे।

8.6 जहाँ परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वसहायता समूह अथवा मिशन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने वाले अन्य (SRLM Compliant) समूह द्वारा किया जा रहा है। वहाँ परियोजना क्रियान्वयन का समय-समय पर पर्यवेक्षण विकासखंड परियोजना प्रबंधक एवं जिला परियोजना प्रबन्धक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से कराया जावे।

8.7 कार्य पूर्ण होने के उपरांत एक माह की अवधि में कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र अपने लॉगिन से नरेगा सॉफ्ट में अपलोड करने का उत्तरदायित्व सहायक यंत्री जनपद पंचायत का होगा।

8.8 समय पर मस्टर जारी करना तथा समय सीमा में साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान कराना, सामग्री खपत के अनुसार सामग्री मद का भुगतान कराने का दायित्व अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत का होगा।

8.9 समय पर मस्टर रोल जनरेट करना, साप्ताहिक मजदूरी का समय सीमा में भुगतान, सामग्री मद से भुगतान तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत पूर्णता प्रमाण जारी कराने का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत का होगा।

8.10 नर्सरी परियोजना से प्राप्त लाभांश का वितरण स्वसहायता समूह एवं ग्राम पंचायत के मध्य 70:30 के अनुपात में किया जायेगा। इस हेतु विधिवत सी.ए. ऑडिट कराया जाकर लाभांश का वितरण किया जायेगा। उक्तानुसार नर्सरी संचालन से प्राप्त लाभांश के अंश का उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला क्रियान्वयन/संचालन हेतु किया जायेगा।

9 यह निर्देश नवीन चारागाह स्वीकृतियों के लिये लागू होंगे। पूर्व की परियोजना हेतु पूर्व के निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

(गौरी सिंह) 5/7

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 2437/MGNREGS-MP/NR-3/2019 भोपाल, दिनांक 8/7/2019

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सा.प्र.वि./गृह/वन/राजस्व/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ उर्जा/ पशुपालन/ किसान कल्याण एवं कृषि/ उद्यानिकी।
3. मान. मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव।
4. सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
5. संभागायुक्त समस्त।
6. ओ.एस.डी.मान.मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
7. संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन, विंध्याचल भवन, भोपाल।
8. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विंध्याचल भवन, भोपाल।
9. संयुक्त आयुक्त, समन्वय, विकास आयुक्त कार्यालय, विंध्याचल भवन, भोपाल।

10. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल, मध्यप्रदेश।

11. समस्त सहायक यंत्री, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।

12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।

13. समस्त ग्राम पंचायत को वेबसाइट पर प्रकाशन से।

आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

मध्यप्रदेश

एक हैक्टेयर चारागाह विकास मानक लागत एवं भुगतान

1 एक हैक्टेयर चारागाह विकास हेतु SECURE अंतर्गत लागू SOR वर्ष 2018-19 एवं मजदूरी की दर वर्ष 2019-20 के अनुसार तैयार प्राक्कलन लागत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

तालिका क्रमांक -(1)

वर्ष	प्राक्कलित लागत (राशि रु.)	सामग्री मद (राशि रु. में)	श्रम दिवस (संख्या)
प्रथम	236165	138133	557
द्वितीय	107788	31932	431
तृतीय	104204	31164	415
चतुर्थ	104204	31164	415
पंचम	104204	31164	415
योग	656565	263557	**2233**

1.1 आगामी वर्षों में SOR में परिवर्तन होने पर प्राक्कलित कुल लागत एवं सामग्री मद में प्राक्कलित राशि में परिवर्तन होगा। आगामी वर्षों में मजदूरी दर में परिवर्तन होने पर प्राक्कलित कुल लागत में परिवर्तन होगा।

1.2 सामग्री मद का भुगतान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर तालिका 2, 3, एवं 4 में दर्शाई गई किश्तों में होगा। सामग्री का भुगतान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकेगा। प्रत्येक किश्त में सामग्री की प्राक्कलित राशि तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार होगी।

1.3 तालिका 2, 3, एवं 4 में CPT के संबंध में दर्शित गणना केवल मार्गदर्शी है, स्थल के आकार के अनुसार CPT (पशु अवरोधक खंती) का कार्य वास्तविक लंबाई में किया जावे एवं तदुसार प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृतियां दी जावें।

1.4 सिंचाई हेतु प्रत्येक माह में 1500 रुपये की दर से विद्युत/डीजल व्यय का प्रावधान किया गया है जिसका आवश्यकता अनुसार भुगतान किया जा सकेगा।

2 एक हैक्टेयर चारागाह विकास हेतु प्रथम वर्ष की सामग्री मद एवं मजदूरी का भुगतान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निम्नानुसार 7 किश्तों में किया जा सकेगा :-

तालिका क्रमांक -(2)

किश्त	किश्त का भुगतान	सामग्री मद (राशि रु. में)	मानव दिवस
पहली	CPT निर्माण 450 घ.मी.	5153	154
	भूमि की तैयारी (fork जुताई दो बार, कल्टीवेटर दो बार, क्यारी बनाना)	9322	38
	भूमि में सिंगल सुपर फास्फेट 300 किग्रा, म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 किग्रा, यूरिया 100 किग्रा व गोबर की खाद 15 मी. टन डालना	26357	-
	सिंचाई एवं सिंचाई हेतु विद्युत/ डीजल व्यय	3042	2
	योग	**43874**	**194**

किश्त	किश्त का भुगतान	सामग्री मद (राशि रु. में)	मानव दिवस
दूसरी	रूट स्लिप एवं रूट स्लिप लगाना.	51125	12
	सिंचाई, यूरिया 85 किग्रा कटाई तथा चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन	1722	49
	सिंचाई हेतु विद्युत/डीजल व्यय	3042	-
	योग	**55889**	**61**
तीसरी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, रैकिंग एवं अर्दिंग, गोबर की खाद एवं यूरिया 83 किग्रा	4869	70
	सिंचाई हेतु विद्युत/डीजल व्यय	3042	-
	योग	**7911**	**70**
चौथी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा प्रबंधन एवं खरपतवार नियंत्रण, यूरिया 83 किग्रा व गोबर की खाद 2 मी. टन डालना	4297	45
	सिंचाई हेतु विद्युत/डीजल व्यय	3042	-
	योग	**7339**	**45**
पांचवी	सिंचाई, कटाई चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, रैकिंग एवं अर्दिंग, गोबर की खाद एवं यूरिया	4869	70
	सिंचाई हेतु विद्युत/डीजल व्यय	3042	-
	योग	**7911**	70
छठवी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, यूरिया 83 किग्रा व गोबर की खाद 2 मी. टन डालना	4297	45
	सिंचाई हेतु विद्युत/डीजल व्यय	3042	-
	योग	**7339**	**45**
सातवीं	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, रैकिंग एवं अर्दिंग, यूरिया 83 किग्रा व गोबर की खाद 2 मी. टन डालना	4869	69
	सूचना पटल आकार- 0.9m X 1.2 m	3001	3
	योग	**7870**	**72**
	महायोग	**138133**	**537**

3 एक हैक्टेयर चारागाह विकास हेतु द्वितीय वर्ष की सामग्री मद एवं मजदूरी का भुगतान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निम्नानुसार 6 किश्तों में किया जा सकेगा :-

तालिका क्रमांक -(3)

किश्त	किश्त का भुगतान	सामग्री मद (राशि रु. में)	मानव दिवस
पहली	CPT मरम्मत (प्रथम वर्ष का 20%)	1186	31
	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिंग, यूरिया 85 किग्रा	2054	67
	सिंचाई हेतु विद्युत /डीजल व्यय	3042	-
	योग	6282	98
दूसरी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, रैकिंग एवं अर्दिंग, यूरिया 83 किग्रा	2088	67
	सिंचाई हेतु विद्युत/डीज़ल व्यय	3042	-
	योग	5130	67
तीसरी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, रैकिंग एवं अर्दिंग, यूरिया 83 किग्रा	2088	67
	सिंचाई हेतु विद्युत/डीजल व्यय	3042	-
	योग	5130	67
चौथी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन,रैकिंग एवं अर्दिंग, यूरिया 83 किग्रा	2088	67
	सिंचाई हेतु विद्युत/डीजल व्यय	3042	-
	योग	5130	67
पांचवी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन,रैकिंग एवं अर्दिंग, यूरिया 83 किग्रा	2088	67
	सिंचाई हेतु विद्युत/डीजल व्यय	3042	-
	योग	5130	67
छठवी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा, प्रबंधन,रैकिंग एवं अर्दिंग, यूरिया 83 किग्रा	2088	65
	सिंचाई हेतु विद्युत/डीजल व्यय	3042	-
	योग	5130	65
महायोग		31932	431

4 एक हैक्टेयर चारागाह विकास हेतु तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष की सामग्री मद एवं मजदूरी का भुगतान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निम्नानुसार 6 किश्तों में किया जा सकेगा:-

तालिका क्रमांक -(4)

किश्त	किश्त का भुगतान	सामग्री मद (राशि रु. में)	मानव दिवस
पहली	CPT मरम्मत (प्रथम वर्ष का 10%)	418	15
	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन,रैकिंग एवं अर्दिंग, यूरिया 85 किग्रा	2054	67
	सिंचाई हेतु विद्युत/डीजल व्यय	3042	-
	योग	**5514**	**82**
दूसरी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन,रैकिंग एवं अर्दिंग, यूरिया 83 किग्रा	2088	67
	सिंचाई हेतु विद्युत/डीजल व्यय	3042	-
	योग	**5130**	**67**
तीसरी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन,खरपतवार नियंत्रण, रैकिंग एवं अर्दिंग, यूरिया 83 किग्रा	2088	67
	सिंचाई हेतु विद्युत/डीजल व्यय	3042	-
	योग	**5130**	**67**
चौथी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन,रैकिंग एवं अर्दिंग, यूरिया 83 किग्रा	2088	67
	सिंचाई हेतु विद्युत /डीजल व्यय	3042	-
	योग	**5130**	**67**
पांचवी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा एवं प्रबंधन,रैकिंग एवं अर्दिंग, यूरिया 83 किग्रा	2088	67
	सिंचाई हेतु विद्युत/डीजल व्यय	3042	-
	योग	**5130**	**67**
छठवी	सिंचाई, कटाई, चारे की सुरक्षा, प्रबंधन,रैकिंग एवं अर्दिंग, यूरिया 83 किग्रा	2088	65
	सिंचाई हेतु विद्युत /डीजल व्यय	3042	-
	योग	**5130**	65
	महायोग	**31164**	**415**

परिशिष्ट -(2)

एक हैक्टेयर चारागाह क्षेत्र की मेढ पर वृक्षारोपण हेतु परियोजना की मानक लागत एवं भुगतान

1 एक हैक्टेयर चारागाह क्षेत्र की मेढ पर वृक्षारोपण परियोजना अवधि 5 वर्ष

1.1 चारागाह क्षेत्र की मेड़ पर गौवंश के पोषण हेतु मुनगा, सुबबूल आदि के 1 हैक्टर क्षेत्र में 133 पौधो का 3m x 3m के अंतराल पर रोपण किया जावेगा।

1.2 एक हैक्टेयर चारागाह भूमि के मेढ पर चारों ओर वृक्षारोपण हेतु वर्षवार प्राक्कलित लागत, मजदूरी राशि एवं सामग्री की राशि की गणना SECURE हेतु लागू SOR वर्ष 2018-19 एवं मजदूरी की दर वर्ष 2019-20 अनुसार तैयार प्राक्कलन लागत नीचे दी गई तालिका क्रमांक (1) में दर्शाई गई है।

तालिका क्रमांक (1)

वर्ष	प्राकलित लागत (राशि रु. में)	सामग्री मद (राशि रु. में)	श्रम दिवस (संख्या)
प्रथम	33442	8450	142
द्वितीय	19514	5610	79
तृतीय	14134	4982	52
चतुर्थ	13671	4795	51
पंचम	13671	4795	51
योग	94432	28632	375

1.3 एक हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर चारागाह विकास करने पर मेढ पर वृक्षारोपण की लंबाई परिवर्तित हो जायेगी। अतः वास्तविक वृक्षारोपण के आधार पर Normal Template में वास्तविक गणना करने पर उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई लागत बदल जायेगी।

1.4 यह तालिका वन विभाग द्वारा निर्धारित वानिकी पौधों के न्यूनतम दर (10 रु. प्रति पौधा वर्ष 2019-20 हेतु) पर आधारित है। अधिक लागत के पौधे क्रय करने पर तालिका में दर्शित सामग्री मद एवं कुल लागत राशि में पौधों की दर के आधार पर राशि में परिवर्तन होगा।

1.5 आगामी वर्षों में अकुशल मजदूरी, अर्द्ध कुशल व कुशल मजदूरी एवं सामग्री की दर में वृद्धि या कमी होने पर नवीन कार्य हेतु प्राक्कलित लागत केन्द्र व राज्य स्तर से दरें अद्यतन करने पर स्वतः परिवर्तित हो जावेगी।

1.6 परियोजना का TS एवं AS जारी करने हेतु SECURE पर Normal Template, उपलब्ध कराया गया है। आगामी वर्षों में SOR में परिवर्तन होने पर प्राक्कलित कुल लागत एवं सामग्री मद में प्राक्कलित राशि में परिवर्तन होगा। आगामी वर्षों में मजदूरी दर में परिवर्तन होने पर प्राक्कलित कुल लागत में परिवर्तन होगा।

1.7 प्रत्येक किश्त में सामग्री एवं मजदूरी की प्राक्कलित राशि तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार होगी। क्रियान्वयन एजेंसी को एक हैक्टेयर क्षेत्र में मेढ पर मुनगा/सुबबुल आदि के रोपण हेतु प्राक्कलित लागत अनुसार सामग्री मद एवं मजदूरी

का भुगतान तालिका क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 में दर्शाई गई किश्तों के अनुरूप वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकेगा।

1.8 तालिका क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 में दर्शित मानव दिवस की गणना 1 हैक्टेयर भूमि के मेढ़ पर वृक्षारोपण हेतु मानक है।

2 चारागाह क्षेत्र की मेढ़ पर वृक्षारोपण परियोजना अन्तर्गत प्रथम वर्ष की सामग्री मद एवं मजदूरी का भुगतान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर तालिका क्रमांक (2) के अनुसार 4 किश्तों में किया जा सकेगा।

तालिका क्रमांक (2)

किश्त भुगतान	सामग्री मद (राशि रु. में)	मानव दिवस
पौधा रोपण के लिये गड्ढा खोदकर मिट्टी एवं खाद डालकर तैयारी करने पर	1362	27
पौधरोपण करने पर	1625	3
खाद, उर्वरक एवं पौध संरक्षण हेतु दवायें (गोबर की खाद -10 कि.ग्रा./ पौधा सिंगल सुपर फास्फेट - 600 ग्राम /पौधा, म्यूरेट आफ पोटास - 200 ग्राम /पौधा, यूरिया 200 ग्राम /पौधा, थीमेट/फोरेट - 25 ग्राम प्रति पौध, कीटनाशक दवायें - आवश्यकतानुसार	5463	0
सिंचाई, निंदाई, गुडाई, कटाई-छंटाई, मल्चिंग (घास-फूस से ढंकना) पौधों को सहारा देना,खाद, उर्वरक एवं दवा छिड़काव थाला बनाना,मिट्टी चढाना इत्यादि सम्पूर्ण देख-रेख। प्रथम वर्ष के अंत में।	0	112
कुल योग:-	8450	142

3 चारागाह क्षेत्र की मेढ़ पर वृक्षारोपण परियोजना अन्तर्गत द्वितीय वर्ष की सामग्री मद एवं मजदूरी का भुगतान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर तालिका क्रमांक (3) के अनुसार 4 किश्तों में किया जा सकेगा।

तालिका क्रमांक (3)

किश्त भुगतान	सामग्री मद (राशि रु. में)	मानव दिवस
मृत पौधों के स्थान पर गैप फिलिंग हेतु पौधरोपण के लिये गड्ढा खोदकर एवं खाद डालकर तैयारी करने पर	134	5
पौधरोपण करने पर	330	1
खाद, उर्वरक एवं पौध संरक्षण हेतु दवायें (गोबर की खाद -10 कि.ग्रा./ पौधा सिंगल सुपर फास्फेट - 500 ग्राम /पौधा, म्यूरेट आफ पोटास - 200 ग्राम /पौधा, यूरिया 200 ग्राम /पौधा, थीमेट/फोरेट - 25 ग्राम प्रति पौध, कीटनाशक दवायें - आवश्यकतानुसार	5072	0

किश्त भुगतान	सामग्री मद (राशि रु. में)	मानव दिवस
सिंचाई, निंदाई, गुड़ाई, कटाई-छंटाई, मल्चिंग(घास-फूस से ढकना) पौधों को सहारा देना,खाद, उर्वरक एवं दवा छिड़काव थाला बनाना,मिट्टी चढ़ाना इत्यादि सम्पूर्ण देख-रेख। द्वितीय वर्ष के अंत में।	74	73
कुल योग:-	**5610**	**79**

4 चारागाह क्षेत्र की मेढ़ पर वृक्षारोपण परियोजना अन्तर्गत तृतीय वर्ष की सामग्री मद एवं मजदूरी का भुगतान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर तालिका क्रमांक (4) के अनुसार 3 किश्तो में किया जा सकेगा।

तालिका क्रमांक (4)

किश्त भुगतान	सामग्री मद (राशि रु. में)	मानव दिवस
मृत पौधों के स्थान पर गैप फिलिंग हेतु पौधरोपण के लिये गड्ढा खोदकर एवं खाद डालकर तैयारी तथा पौध रोपण करने पर	223	3
खाद, उर्वरक एवं पौध संरक्षण हेतु दवायें (गोबर की खाद -10 कि.लो./ पौधा सिंगल सुपर फास्फेट – 500 ग्राम /पौधा, म्यूरेट आफ पोटास – 200 ग्राम /पौधा, यूरिया 200 ग्राम /पौधा, थीमेट/फोरेट – 25 ग्राम प्रति पौधा, कीटनाशक दवायें – आवश्यकतानुसार	4759	0
सिंचाई, निंदाई, गुड़ाई, कटाई-छंटाई, मल्चिंग(घास-फूस से ढकना) पौधों को सहारा देना,खाद, उर्वरक एवं दवा छिड़काव थाला बनाना,मिट्टी चढ़ाना इत्यादि सम्पूर्ण देख-रेख। तृतीय वर्ष के अंत में।	0	49
कुल योग:-	**4982**	**52**

5 चारागाह क्षेत्र की मेढ़ पर वृक्षारोपण परियोजना अन्तर्गत चतुर्थ एवं पंचम वर्ष की सामग्री मद एवं मजदूरी का भुगतान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर तालिका क्रमांक (5) के अनुसार 3 किश्तों में किया जा सकेगा।

तालिका क्रमांक (5)

किश्त भुगतान	सामग्री मद (राशि रु. में)	मानव दिवस
मृत पौधों के स्थान पर गैप फिलिंग हेतु पौधरोपण के लिये गड्ढा खोदकर एवं खाद डालकर तैयारी तथा पौध रोपण करने पर	103	2
खाद उर्वरक एवं पौध संरक्षण हेतु दवायें (गोबर की खाद -10 कि.लो./ पौधा सिंगल सुपर फास्फेट – 500 ग्राम /पौधा, म्यूरेट आफ पोटास – 200 ग्राम /पौधा, यूरिया 200 ग्राम /पौधा, थीमेट/फोरेट – 25 ग्राम प्रति पौधा, कीटनाशक दवायें – आवश्यकतानुसार	4692	0
सिंचाई, निंदाई, गुड़ाई, कटाई-छंटाई, मल्चिंग(घास-फूस से ढकना) पौधों को सहारा देना, दवा छिड़काव थाला बनाना, मिट्टी चढ़ाना इत्यादि सम्पूर्ण देख-रेख। चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के अंत में।	0	49
कुल योग:-	**4795**	**51**